न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :– कमर चौधरी
आई0ए0एस0

Web Copy - Not Official

प्रार्थना पत्र सं0 64/2023

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा लालसोट रोड दौसा जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री आर0सी0 मीणा

......प्रार्थी

बनाम

- मैसर्स शिवा मिनरल्स, .ऋणी/फर्म
  पता–खसरा नंबर 753/6, रीको एरिया बापी, दौसा
- श्री शान्तनु भारद्वाज पुत्र श्री महेश चन्द भारद्वाज पार्टनर
  पता–चाणक्यपुरी, न्यू बस स्टैएड, राजगढ, अलवर– 301408
- श्री हेमन्त कटारिया पुत्र श्री कैलाश चन्द सैनी पार्टनर
  पता–वार्ड नंबर 16, रामा वाला कुआ, राजगढ, अलवर– 301408
- श्री महेश चन्द भारद्वाज पुत्र श्री शिवजीराम जमानतदार
  पता–चाणक्यपुरी, न्यू बस स्टैएड, राजगढ, अलवर– 301408

प्रा0 पत्र अंतर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम– 2002 ऋणी/जमानती से बंधक संपत्ति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत।

उपस्थित : श्री भागचन्द शर्मा, अधिकृत प्रतिनिधि

आदेश

दिनांक: 25.08.2023

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा लालसोट रोड दौसा ने ऋणी/सह ऋणी को रूपये 20,00,000/– (रूपये बीस लाख मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया। अप्रार्थी ऋणी/सह ऋणी को बैंक का ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने एवं समाचार पत्रों के माध्यम से नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त हेतु **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

.....निरंतर 2 पर

जिला कलेक्टर, दौसा

बैंक प्रतिनिधि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा लालसोट रोड दौसा को सुना गया। हमने प्रार्थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा लालसोट रोड दौसा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा लालसोट रोड दौसा को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही कर उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणीगण को रजिस्टर्ड नोटिस एवं समाचार पत्रों के माध्यम से सूचित किये जाने के बावजूद ऋण राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act. 2002** की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र के अनुसार बंधक औधोगिक परिवर्तित भूमि व भवन के सभी भाग व हिस्से खसरा नंबर 753/6 रीको एरिया, बापी, दौसा–303303 प्रतिभूति (क्षेत्रफल 800 वर्गमीटर) का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा लालसोट रोड दौसा को किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो, नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार हो एवं नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 25 अगस्त, 2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर,दौसा

जिला कलेक्टर,दौसा

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
दौसा